

Form No-|||

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

रायसिंहनगर

हरमोज सिंह बनाम सरकार

किसम गुकदमा 136 एल आर एक्ट

नम्बर 110 सन् 2021

जी.सी.एम.एस. आईडी 2021/

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
26.10.21	<p>तहसीलदार भू.अ./नायब तहसीलदार <u>सिधेन्द्र केशी</u> रायसिंहनगर के पत्रांक/भू.अ./प्र.गां.सं.अ./2021/257 दिनांक 26.10.21 के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत 75 एन.पी. में प्रार्थी के नाम चक 1 BWSM की जमाबंदी सम्वत् 2075-2078 के खाता सं 79 में <u>हरमोज सिंह कल्ल डिलवाग सिंह</u> <u>कैम्प जलपिख साठ डेह खोटेडा</u> के स्थान पर <u>हरमोज सिंह कल्ल डिलवाग</u> <u>सिंह कैम्प जलपिख साठ डेह खोटेडा</u> की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंषा की हैं। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी हैं। अतः तहसीलदार/नायब तहसीलदार <u>सिधेन्द्र केशी</u> रायसिंहनगर की अनुशंषा के आधार पर वाके चक 1 BWSM तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्वत् 2075-2078 के खाता सं 79 में <u>हरमोज सिंह कल्ल</u> <u>डिलवाग सिंह कैम्प जलपिख साठ डेह</u> <u>खोटेडा</u> के स्थान पर <u>हरमोज सिंह कल्ल डिलवाग सिंह कैम्प</u> <u>जलपिख साठ डेह खोटेडा</u> की दुरुस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फौसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो। आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।</p>	

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

